राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

नम्बर व तारीख अहकाम	लक्ष्मी देवी बनाम राजकुमारी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 953/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.9.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस दोनों अपील पत्रावलीयो क्रमश: 953/2024 व 943/2024 पर ईकजाई रूप से सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर एकपक्षीय प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22/11/2021 पारित किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है। अपीलार्थीयां विवादग्रस्त भूमि की सहखातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को नोटिस जारी किये बगैर एवं अपीलार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये बगैर ही एकपक्षीय प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22/11/2021 पारित किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22/11/2021 की पालना में तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06/06/2022 को कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गयी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपीलार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 18/08/2022 पारित किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादिया एवं प्रतिवादी सख्या 10 ने सहमति से प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमो के विरुद्ध प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गयी है। विवादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी में अपीलार्थीयां का नाम दर्ज है एवं विवादग्रस्त भूमि में अपीलार्थीयां का 1/5 हिस्सा है। अपीलार्थीयां द्वारा यदि भूमि का बैचान कर दिया गया है तो रेस्पो. द्वारा आज तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही क्यों नही की गयी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. द्वारा अपीलार्थीयां को पक्षकार बनाया है। रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गूगल मेप पेश किया है परन्तु किस खसरे का पेश किया है, को रेस्पो. द्वारा स्पष्ट नही किया गया है। अपीलार्थीयां ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गूगल मेप पेश किया, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थीयां की भूमि खसरा नम्बर 108 खाली है, जिसमे अपीलार्थीयां का 1/5 हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी को कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु किसी प्रकार की कोई सूचना/नोटिस नही दिया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को आपत्ति प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान किये बगैर एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट निर्णय व डिक्री दिनांक 18/08/2022 पारित किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संयान लिये बगैर एवं क़ानूनी	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

लक्ष्मी देवी बनाम राजकुमारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
953/2024	

प्रावधानों के विपरीत प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22/11/2021 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 18/08/2022 पारित किये जाने में तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी कारित की गयी है | अत: दोनों अपीले स्वीकार फरमाई जावे |

अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिंनाक 22/11/2021 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 18/08/2022 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष पृथक-पृथक दो अपीले प्रस्तुत की गयी है | रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार अपीलार्थी की रजिस्टर्ड एडी की कार्यवाही करवायी गयी थी | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चार नोटिस पुन: लोट कर आये एवं 7 पक्षकारान के अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आ गये, जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चारो पक्षकारो को पुन: नोटिस जारी किये जाने के आदेश पारित किये जाने के पश्चात चारो की और से उनके अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी पक्षकार के जवाब नही दिये जाने के पश्चात प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22/11/2021 पारित की गयी है, जो सही है एवं तहसीलदार द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री पालना में दोनों पक्षों को कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु नोटिस/सूचना दिये जाने के पश्चात कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित की गयी | विवादग्रस्त भूमि के मौके पर दो पक्षकारो की भूमि खाली है एवं शेष पर आबादी विकसित हो चुकी है | अपीलार्थी की भूमि पर आबादी बसी हुई है एवं जिस भूमि पर आबादी बसी हुई है, उसे शामलाती रखते हुये शेष भूमि की कुर्रेजात रिपोर्ट बनाई गयी है | अपीलार्थीयां ने अपनी भूमि का बैचान सोसायटी को कर दिया है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लेकर सही रूप से प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22/11/2021 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 18/08/2022 पारित किये है, जिसमे तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी नही होने से दोनों अपीले ख़ारिज फरमाई जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री व कुर्रेजात रिपोर्ट अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारान को जरिये रजिस्टर्ड एडी सूचना प्रदान कर विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुए ही प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है | इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन भूमि के जिस भाग पर आबादी बसी हुई है वो शामलाती रखते हुये शेष

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

लक्ष्मी देवी बनाम राजकुमारी

953/2024

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खाली भूमि का विभाजन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया है, जो उचित प्रतीत होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22/11/2021 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 18/08/2022 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुए दोनों अपीले क्रमश: 953/2024 व 943/2024 ख़ारिज की जाती है |

पत्रावलीयां फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 01/09/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर